जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा **दिनाँक 28.01.2024**

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र के निर्माण/बिक्री/परिवहन आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिकन्द्री में कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की सूचना पर अभियुक्त गौरव उर्फ रोकी पुत्र सुभाषचन्द निवासी फ़रीदपुर उदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 06/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

गौरव उर्फ रोकी पुत्र सुभाषचन्द निवासी फ़रीदपुर उदा (जित्ती घेर) थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 506 हरीशचन्द थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
3. का0 1754 अजय थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
4. का0 2467 विपिन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांकः-28.01.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु गैर जमानती वांरट की तामील, वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नहटौर	मौ0 रजा पुत्र मौ0 शमीम निवासी पिलखपुर गुमानी
2	रेहड	सलीम उर्फ छोटे पुत्र हसीब उर्फ छिद्दन निवासी ग्राम कासमपुर गढी थाना अफजलगढ
3	नजबीबाद	सोनू शर्मा पुत्र नरेश शर्मा निवासी ग्राम लालू वाला धनोरा थाना नजीबाबाद बिजनौर।
4	मण्डावर	गुड्डु पुत्र दुलारीचन्द नि0 ग्राम शहबाजपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
5	नूरपुर	बेबी उर्फ रवि कुमार पुत्र बुहारी नि0 ग्राम गौहावर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

थाना नहटौर

थाना रेहड

थाना नजीबाबाद

थाना मण्डावर

थाना नूरपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ **दिनाँक 28.01.2024**

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मवीर सिंह पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 25/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

धर्मवीर सिंह पुत्र घसीटा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. हे0का0 430 कलीम हसन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. का0 572 शुभम चौधरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना बढापुर **दिनाँक 28.01.2024**

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्च अभियान में छापेमारी के दौरान भिन्न-भिन्न स्थानो से कुल 350 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण जब्त किये गये तथा मौके पर 10,000 लीटर लहन को नष्ट किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शराब के निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बढापुर व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च अभियान में छापेमारी के दौरान थाना बढापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मधुपुरी व भोगपुर के जंगलों में भिन्न-भिन्न स्थानो से कुल 350 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण यथा लोहे का ड्रम, एल्यूमिनियम पाईप, रबर पाईप, बाल्टी, प्लास्टिक के मग आदि को बरामद किया गया तथा बरामद कुल 10,000 लीटर लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्तगण 1. जस्सी उर्फ जसवंत पुत्र दर्शन सिंह, 2. अंग्रेज पुत्र छिन्दर, 3. बलविन्दर उर्फ भालू सिंह पुत्र मेहर सिंह व 4.चन्ना पुत्र चाकर समस्त निवासीगण ग्राम मधुपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमे गठित कर संभावित स्थानो पर दबिश दी जा रही है। बरामदगी के संबंध में थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 16/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम बनाम जस्सी सहित 04 अभियुक्तगण उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी विवरणः-

1.कुल 350 लीटर कच्ची शराब, मौके पर नष्ट किया गया 10,000 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण (लोहे का ड्रम, एल्यूमिनियम पाईप, रबर पाईप, बाल्टी, प्लास्टिक के मग आदि)।

बरामदगी करने वाली टीम :-

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 28.01.2024**

थाना स्योहारा पुलिस व सर्विलांस टीम ने हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त रस्सी व मृतक के मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.01.2024 को थाना स्योहारा पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्योहारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हामानंगली में सन्तराम (उम्र 65 वर्ष) पुत्र पूरन सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना (Strangulation) आया। दिनांक 26.01.2024 को मृतक सन्तराम के पुत्र जयप्रकाश की तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलेराम 2.गौरव कुमार पुत्र कुन्दन सिंह 3.श्रीमती सुदेश पत्नी महेश निवासीगण ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्ताही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.01.2024 को थाना स्योहारा पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 31/2024 धारा 302 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलेराम 2.गौरव कुमार पुत्र कुन्दन सिंह 3.श्रीमती सुदेश पत्नी महेश निवासीगण ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त रस्सी व मृतक सन्तराम के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 404/120बी भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्ता सुदेश ने बताया कि मेरे पति मुकेश की मृत्यु लगभग 04 वर्ष पूर्व हो चुकी है और मेरे जेठ जयप्रकाश व मेरे देवर बाहर रहते है । मेरा अपने ही पडोसी जीतू उर्फ जितेन्द्र से प्रेम-प्रसंग हो गया था, जिसका मेरे ससुर सन्तराम को शक हो गया था तथा वह मुझ पर बंन्दिशे रखने लगे तथा मेरे घर से बाहर जाने पर मुझ पर नजर रखने लगे । इसी कारण मैने जीतू के साथ मिलकर अपने ससुर को रास्ते से हटाने की योजना बनायी तथा जीतू को संतराम की हत्या करने के लिये 5000/- रूपये दिये । मेरा नाम ना आये इसलिये मै अपनी बहनो के यहाँ चली गयी और दिनांक 23.01.2024 को अपनी बहनो के यहाँ से वापस आयी तो जीतू ने मुझे रास्ते मे बता दिया कि सन्तराम की हत्या कर दी है । मेरे द्वारा गाँव मे पहुँचकर अपने ससुर के कमरे मे जाकर उनके मृत शरीर को देखकर सभी लोगो को बताया कि वह मर गये है और अपने देवर व जेठ को भी ससुर सन्तराम के मरने की सूचना दी । मेरे द्वारा अपने ससुर सन्तराम के मरने की सूचना पुलिस को नही दी ताकि किसी को भी उनके मरने का कारण न पता चल सके ।

अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र ने बताया कि सुदेश ने मुझे सन्तराम को मारने के लिये 5,000/- रूपये दिये थे । मैने गौरव को आधे पैसे देते हुए सन्तराम की हत्या की योजना में शामिल कर लिया । दिनांक 22.01.2024 को रात्रि में मैने व गौरव ने सन्तराम के मकान की खिडकी से अन्दर जाकर सन्तराम को सोते हुए दबौच लिया और रस्सी से सन्तराम का गला घोंट दिया तथा सन्तराम के मरने पर सन्तराम का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.जीतू उर्फ जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलेराम निवासी ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2.गौरव कुमार पुत्र कुन्दन सिंह निवासी ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3.श्रीमती सुदेश पत्नी महेश निवासी ग्राम हामानंगली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मृतक संतराम का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त रस्सी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह, थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
2. निरीक्षक श्री अजित रोरिया, प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
3. व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह, थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. हे0कां0 जोगेन्द्र सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर
5. कां0 1962 रजनीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
6. कां0 845 जसवीर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7. म0कां0 1720 पूजा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8. म0कां0 1019 साक्षी तोमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 28.01.2024**

थाना चांदपुर क्षेत्र की सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र सहित वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.01.2024 को थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बीबीपुरा बास्टा में एक युवक की सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्र सहित वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच की गयी तो उक्त युवक की पहचान गोलू पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के रूप में हुई।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही से करते हुए अभियुक्त गोलू पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा 9/25 शस्त्र अधिनियम बनाम गोलू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गोलू पुत्र स्व0 जितेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कौशल्या थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ0नि0 श्री इन्देश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

कां0 1872 हेमंत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

कां0 1879 हिमांशु भडाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर